<u>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (का.हि.वि.), वाराणसी</u>

“राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख निदेश” पर हिन्दी कार्यशाला
(दिनांक 03.12.2021)

संस्थान में दिनांक 03 दिसंबर 2021 को एकदिवसीय हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय **“राजभाषा नीति एवं कार्यान्वयन संबंधी प्रमुख निदेश”** था। कार्यशाला का उदघाटन संस्थान के कुलसचिव (प्रभारी) श्री राजन श्रीवास्तव ने किया। प्रशिक्षक के रूप में डॉ. संजय कुमार सिंह, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी एवं सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति आमंत्रित थे। उक्त कार्यशाला संस्थान के एनी बेसेंट व्याख्यान कक्ष संकुल में आयोजित किया गया, जिसमें संस्थान के कुल 60 अध्यापक एवं गैर-शैक्षणिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य संस्थान के कर्मचारियों को संघ की राजभाषा नीति एवं उसके कार्यान्वयन से संबन्धित जानकारी से अवगत कराना था। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को राजभाषा नीति से संबन्धित भारत सरकार के प्रमुख निदेशों के बारे में बताया गया, जिससे संस्थान में सम्पूर्ण कार्यालयी कार्य हिन्दी में किया जा सके। प्रशिक्षक महोदय ने राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3), हिन्दी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में, अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिन्दी में, कार्यालय टिप्पण, राजभाषा नियम 1976, नियम 5, नियम 9 व 10 तथा नियम 12, राष्ट्रपति के आदेश 1960, राजभाषा हिन्दी के संबंधी आदेश, हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान एवं संस्थान में उनके कार्यान्वयन हेतु किए जा सकने वाले प्रयास के बारे में बताया। उन्होंने प्रेम, प्रोत्साहन एवं प्रयोग के माध्यम से हिन्दी के कामकाज को बढ़ाये जाने पर बल दिया।

कार्यक्रम का संचालन संस्थान के श्री गंगेश शाह गोंडवाना, सह-हिन्दी अधिकारी ने किया एवं संस्थान के श्री राजन श्रीवास्तव, कुलसचिव (प्रभार) ने प्रशिक्षक को स्मृति चिह्न एवं अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया।